भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2495
दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए नियत
उत्तर बंगाल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई)

2495. **श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल में चाय प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन तथा खाद्य उत्पादों से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या पहल की गई हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से कितने उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): चाय प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन और खाद्य उत्पादों से संबद्ध एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल सहित देश भर में निम्नांकित पहलें की जा रही हैं:

i. चाय प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन और खाद्य उत्पादों सहित गैर-कृषि सेक्टर में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को सुगम बनाकर टिकाऊ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल सहित देश भर में ऋण-संबद्ध सब्सिडी स्कीम के रूप में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजी) क्रियान्वित किया जा रहा है।

ii. एमएसएमई मंत्रालय की खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम के अंतर्गत चाय प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन और खाद्य उत्पादों में लगे एमएसएमई सहित विपणन को सुदृढ़ करने और एमएसई उत्पादों की बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, विक्रेता विकास कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों में सहभागिता, बारकोड पंजीकरण तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अर्थात् एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के अंगीकरण हेतु पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii. एमएसएमई टीम (व्यापार सक्षमता और विपणन) पहल के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पंजीकृत किया गया है, ताकि उनकी बाजार पहुंच को बढ़ाया जा सके और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) से जोड़कर उनकी डिजिटल विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया जा सके।

iv. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमों/पहलों को लागू कर रहा है:

क) कृषि प्रसंस्करण कलस्टर (एपीसी) अवसंरचना सृजन स्कीम प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम के एक घटक के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। एपीसी स्कीम का लक्ष्य क्लस्टर दृष्टिकोण आधारित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना, फसलोपरांत हानियों कृषि उपज में मूल्य वर्धन, किसानों की आय में वृद्धि, और रोजगार सृजन करना है।

ख) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल सहित देश भर में सभी उत्पादों के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यापार संबंधी सहायता प्रदान करती है। यह स्कीम इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं की उपलब्धता और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से "एक जिला एक उत्पाद" (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है।

ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध-प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, मूल्यवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पात्र वृद्धिशील बिक्री पर कार्य-निष्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करती है।

v. वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प सेक्टर के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना को कार्यान्वित कर रह है। विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास सहायता, डिजिटलीकरण, ब्रांडिंग और विपणन आदि के माध्यम से कारीगरों को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देती है तथा आजीविका के अवसरों में वृद्धि करती है।

(ख): पीएमईजीपी के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों के दौरान दार्जिलिंग सहित उत्तर बंगाल में पीएमईजीपी के तहत बैंक द्वारा संस्वीकृत ऋणों पर 826 सूक्ष्म उद्यमों को मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत स्थापित 10 बेहतर निष्पादन वाले उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के तौर पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान दार्जिलिंग सहित उत्तर बंगाल में 87 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण की संस्वीकृति दी गई है।

(ग): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत उत्तर बंगाल सहित पूरे देश से रोजगार सृजन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई को निम्नलिखित अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई:

i. अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

ii. विभिन्न प्रबंधकीय और प्रचालन कार्यों से संबंधित अभिमुखीकरण और जागरूकता प्रदान करने के लिए संभावनाशील लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने व्यापार का प्रभावी ढंग से संचालन कर सके।

iii. पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत स्थापित बेहतर कार्य-निष्पादन वाले उद्यम प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के तौर पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

iv. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की विस्तृत श्रृंखला पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

v. संभावनाशील लाभार्थियों को तत्क्षण सहायता और पथ-प्रदर्शन सहायता के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है।

vi. संभावनाशील लाभार्थियों को चिह्नित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन तथा पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन।

vii. एमएसएमई टीम (व्यापार सक्षमता और विपणन) पहल के अंतर्गत पीएमईजीपी उद्यमों को पंजीकृत किया गया है, ताकि उनकी बाजार पहुंच को बढ़ाया जा सके और उन्हें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) से जोड़कर उनकी डिजिटल विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया जा सके।

viii. केवीआईसी ब्रिक्री केंद्रों के माध्यम से पीएमईजीपी सहित पंजीकृत विनिर्माताओं को विपणन सहायता प्रदान की जाती है। खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की वैश्विक स्तर पर बिक्री के लिए उन्हें डिजिटल बाज़ार उपलब्ध कराने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स पोर्टल (https://www.ekhadiindia.com) विकसित किया गया है।

ix. पीएमईजीपी पोर्टल को समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जिसे जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से वित्तपोषण करने वाले बैंकों से एकीकृत किया गया है। इससे आवेदकों को आवेदन स्वीकृति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से जानकारी प्रदान करने को सुव्यवस्थित किया गया है।

x. एमएसएमई को ऋण देने के संबंध में आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाएगा। सभी वित्तपोषण बैंकों से स्पष्ट कहा गया है कि वे इस उपबंध का सख्ती से अनुपालन करें।

पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत उद्यमों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, संगठित खुदरा क्षेत्र, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा निर्यात संवर्धन पहलों में भागीदारी के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इससे बाज़ार तक पहुँच सुदृढ़ होती है, उत्पादों की निर्यात क्षमता में वृद्धि होती है तथा रोजगार सृजन में योगदान मिलता है।

पीएलआईएसएफपीआई स्कीम में नवाचारी एवं जैविक खाद्य उत्पादों से जुड़े एसएमई के लिए एक विशिष्ट घटक तथा भारतीय खाद्य उत्पादों को विदेशी बाजारों में बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग एवं विदेशों में विपणन घटक शामिल हैं।
